न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 59/2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020/00062
शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी कालूसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोडेंट

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट
मोहम्मद इम्तियाज अली राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 04.07.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 28.08.2019 एवं तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 03.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित कृषि भूमि रोही कालूसर के खसरा नं. 100/1 में 3.289 हैक्टयर व खसरा नं. 98/8 की 7.540 हैक्टयर, कुल तादादी 10.289 हैक्टयर बारानी भूमि पर अपीलांट कब्जा काश्त है। जो पटवारी हल्का व तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा की गई रिपोर्ट में सम्वत् 2038 से 2063 तक के अंकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलांट को नियमानुसार उक्त आरजीकाश्त आवंटित भूमि की खातेदारी दी जानी थी। लेकिन तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ के आदेश दिनांक 03.04.2012 के द्वारा खसरा नं. 98/8 की 7.540 हैक्टयर पर कब्जा ना होने के आधार पर खातेदारी नहीं दी व इसी आदेश में खसरा नं. 100/1 की 3.289 हैक्टयर भूमि की खातेदारी प्रदान कर दी गई। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ के आदेश के विरूद्ध बाबत खातेदारी खसरा नंबर 98/8 की 7.540 हैक्टयर भूमि की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष पेश की गई। न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ़ ने उक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील को आदेश दिनांक 28.08.2019 द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 28.08.2019 को खारिज कर दिये जाने पर व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की। राजस्थान सरकार के राजस्व(ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना नं. 1(17)राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से यह पत्रावली इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2– अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विजय कुमार पारिक ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित कृषि भूमि रोही कालूसर के खसरा नं. 100/1 में 3.289 हैक्टेयर व खसरा नं. 98/8 की 7.540 हैक्टयर, कुल तादादी 10.289 हैक्टयर बारानी भूमि पर कब्जा काश्त है। रकम नियमानुसार जमा की जाती रही है। जब पटवारी हल्का व तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा की गई रिपोर्ट में सम्वत् 2038 से 2063 तक के अंकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलांट को नियमानुसार उक्त आरजीकाश्त आवंटित भूमि की खातेदारी दी जानी थी। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ द्वारा अपीलांट का कब्जा मात्र इस आधार पर नहीं माना गसा कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट कर दी कि अपीलांट का रोही कालूसर के खसरा नं. 98/8 की 7.540 हैक्टयर भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। इस विन्दु पर तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई और ना ही अपीलांट को प्रतिपरीक्षण का मौका दिया गया। इस से यह स्पष्ट है कि अपीलांट के विरूद्ध अपीलांट की गैरमौजूदगी में इकतरफा आरोप लगाकर अपीलांट को कानूनी अधिकारों से वंचित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ़ ने उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से बिन्दुवार विवेचन न करते हुए व कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपील अपीलांट दिनांक 28.08.2019 को निरस्त कर दी। दोनों आदेशों में अपीलांट की अपील पर बिन्दुवार विचारण नहीं हुआ। अपीलांट को प्राप्त अधिकारों से वंचित करने के लिए अपीलांट के खसरा नं. 98/8 की 26.16 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त ना होने की रिपोर्ट इकतरफा की गई जो कि दस्तावेजी रिकॉर्ड से साबित नहीं होती। इस आधार पर अपील

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट स्वीकृति योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2012 एवं अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर, सूरतगढ़ दिनांक 28.08.2019 निरस्त किया जावे।

4— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश पटवारी रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 98/8 तादादी 7.540 हैक्टयर की भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। अतः उप तहसीलदार सूरतगढ का आदेश दिनांक 03.04.2012 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 28.08.2019 को बहाल रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावें।

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ के आदेश दिनांक 03.04.2012 एवं अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 28.08.2019 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन नहीं किया। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ एवं अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर एवं दस्तावेजों की गहनता से जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

6— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर